

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राजस्थान जयपुर)

क्रमांक: एफ 20() / जीविकोपार्जन/2014/2084-2162


दिनांक: 3-3-15

कार्यालय आदेश

एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं में जीविकोपार्जन गतिविधियों में किये गये कार्यों के लिये परियोजना प्रबन्धक द्वारा पुरस्कार के लिये नामित स्वयं सहायता समूहों/उद्यमी व्यक्तियों, डब्ल्यू.डी.टी सदस्य व अन्य कार्मिकों द्वारा किये गये कार्यों का मुल्यांकन कर राज्य स्तर पर सम्मानित करने हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है:-

1. अतिरिक्त निदेशक (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) : अध्यक्ष
2. संयुक्त निदेशक (लाईवलीहुड) : सदस्य सचिव
3. संयुक्त निदेशक (एमआईईएस) : सदस्य
4. संयुक्त निदेशक (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) : सदस्य


उक्त कमेटी जिलों से प्राप्त उत्कृष्ट स्वयं सहायता समूहों/उद्यमी व्यक्तियों, डब्ल्यू.डी.टी. सदस्यों, कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता (पीआईए), अधिशाषी अभियन्ताओं के प्राप्त अभिशंषाओं/टिप्पणियों का आकलन कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले समूहों, व्यक्तियों, सदस्यों व अभियन्ताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान करने हेतु सूची तैयार कर निदेशक, जल ग्रहण को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी।


2.3.15
(एम.एस. काला)
निदेशक

क्रमांक: एफ 20 () / जीविकोपार्जन/2014/2084-2162
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

दिनांक: 3-3-15

1. निजी सचिव निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जयपुर (राजस्थान)।
2. जिला कलेक्टर, समस्त।
3. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासन) निदेशालय, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जयपुर
4. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक समस्त, निदेशालय, जयपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबंधक, डब्ल्यू.सी.डी.सी., जिला परिषद (समस्त)।
6. ए.सी.पी. व उपनिदेशक, निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(वी.एल.मीना)
अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी)